न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 77/2025 बउनवानी सुरेश चन्द राठौड बनाम उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर पुत्र लडडू लाल राठौड निवासी 1/23 हाउसिंग बोर्ड आलनपुर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 199

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]

20.8.2025

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 5.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "*पत्रावली संख्या 548 दिनांक 11.9.2003 प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक 03/857 दिनांक 31.12.2003 सुरेश चन्द बनाम सरकार ग्राम जीनापुर के ख0न0 533/2 रकबा 400 वर्ग गज की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित सूचना*" उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअं/2025/1164 दिनांक 13.8.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 5.6.2025 से चाही गयी सूचना के संबंध मे उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 970 दिनांक 26.6.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुंका है कि पत्रावली संख्या 548 दिनांक 11.9.2003 सुरेश चन्द बनाम सरकार किस प्रयोजन (संपरिवर्तन आदेश या आवंटन आदेश) की है स्पष्ट अंकित नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचना से संबंधित प्रार्थना पत्र तत्समय खारिज कर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अवगत कराया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6(1) के साथ संलग्न नामा0 की छायाप्रति से भी चाही गयी सूचना का स्पष्ट विवरण नही मिला है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण (उक्त पत्रावली संख्या 548 दिनांक 11.9.2003 किस प्रयोजन के लिए है) अंकित नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर लोक सूचना अधिकारी द्वारा तत्समय प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अपीलान्ट को सुझाव दिया जाता है कि पूर्ण विवरण के साथ नये सिरे प्रार्थना पत्र पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:38:01 IST
Reason: SelfAttested

([illegible])
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner